

## प्रेस नोट दिनांक-14.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रमेशचन्द्र तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नन्दू कोल पुत्र रामलाल निवासी अमचूर नेरुवा थाना मारकुण्डी को 05 लीटर कच्ची शराब 30 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रमेशचन्द्र
2. आरक्षी विनय कुमार
3. आरक्षी कृष्ण कुमार
4. महिला आरक्षी अनीता
5. महिला आरक्षी रूबी

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने अलग अलग 02 स्थानों से 08 जुआरियों को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया।

(क). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा राघवपुरी सीतापुर से अभियुक्त राजेश पुत्र सुकरु रैदास, 2. लल्लू पुत्र जगदीश 3.रामप्रयाग पुत्र हीरालाल 4. राजकरन पुत्र नौखेलाल निवासीगण राघवपुरी कस्बा व चौकी सीतापुर को ताश के पत्तों में हारजीत के बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 52 अदद ताश के पत्ते व 820/- रुपये, जामातलाशी से 470/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

मालफड़ 820/- रुपये,जामातलाशी से 470/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. आरक्षी शिवकुमार मिश्रा
4. आरक्षी अनूप विश्वकर्मा
5. आरक्षी शिवम गुप्ता

(ख). श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा महुआगांव के पास से अभियुक्त 1.गोपाल मिश्रा पुत्र विद्यासागर 2. विजय बहादुर पुत्र महाराजदीन 3.मंगल सिंह पुत्र शिवबरन सिंह 4. रामसुहावन पुत्र रामेश्वर सिंह निवासीगण महुआगांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 52 अदद ताश के पत्ते व 3260/- रुपये ,जामातलाशी 580/- रुपये बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

मालफड़ 52 अदद ताश के पत्ते व 3260/- रुपये ,जामातलाशी 580/- रुपये

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा
2. उ0नि0 श्री रवि सिंह
3. आरक्षी वृन्दावन
4. आरक्षी लालू

5. आरक्षी राहुल पाण्डेय

6. आरक्षी अशोक

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा पेश्वनी नदी खोंपा घाट परसौजा से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर सोनालिका डीआई-35 मय ट्राली के बरामद किया गया। अभियुक्तगण पुलिस को देकर मौके से भाग गये। भागे हुये अभियुक्तों एवं ट्रैक्टर स्वामी के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 71/21 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम व 03 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

बालू लदा ट्रैक्टर सोनालिका डीआई-35 मय ट्राली

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. 30नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी दिलीप कुमार
3. आरक्षी प्रदीप कुमार
4. आरक्षी प्रमोद कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-31.05.2021 को आवेदक श्री सतीश कुमार पुत्र श्री धर्मराज निवासी गोल तालाब के पास कसहाई कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी सुनैना देवी द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर पैसा लेने व विवाद करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र 30नि0 श्री बैजनाथ यादव, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कई बार कार्यालय बुलाकर दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। दोनों पक्षों ने मिलजुलकर साथ रहने की सहमति व्यक्त की गयी इस तरह आज दिनांक 14.06.2021 को सुलह समझौता कराया गया।

(5). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 14.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा नादिन कुर्मियान में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड, यमुना रोड, बाजार कस्बा मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, बस स्टैण्ड, कालीमाता मंदिर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।